क्रम-संख्या–177

रजिस्ट्रेशन नम्बर–एस0एस0पी0/एल0-डब्लू/एन0पी0–91/2014–16

लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–4, खण्ड (ख)

(परिनियत आदेश)

लखनऊ, बुधवार, 5 नवम्बर, 2025

कार्तिक 14, 1947 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

परिवहन अनुभाग–4

———

संख्या 21/2025/1270/तीस-4–2025-8(19)-2018 टीसी

लखनऊ, 5 नवम्बर, 2025

———

अधिसूचना

प0आ0–180

औद्योगिक विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन की अधिसूचना संख्या–73/2025/2201/77–6–2025–1657900 दिनांक 17 अक्टूबर, 2025 के माध्यम से प्रख्यापित उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माण एवं गतिशीलता नीति, 2022 (यथा संशोधित, 2025) सपठित उच्च स्तरीय प्राधिकृत इलेक्ट्रिक व्हीकल समिति (HLEEVC) की बैठक दिनांक 10 अक्टूबर, 2025 के सक्षम स्तर से अनुमोदित कार्यवृत्त, के क्रियान्वयन हेतु, एवं परिवहन विभाग के शासनादेश सं0 420/तीस–4–2023, दिनांक 18 मार्च, 2023 द्वारा उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माण एवं गतिशीलता नीति, 2022 के अन्तर्गत इलेक्ट्रिक यानों पर रोड टैक्स एवं पंजीयन शुल्क में छूट से लाभार्थ/सुविधार्थ निर्गत मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) के परिप्रेक्ष्य में, उच्च स्तरीय प्राधिकृत इलेक्ट्रिक व्हीकिल समिति (HLEEVC) की बैठक के कार्यवृत्त में मद संख्या 2 पर की गयी संस्तुति के अनुपालन हेतु, तत्सम्बन्धी उ0प्र0 मोटरयान नियमावली, 1998 (यथा संशोधित 2023) के नियम 50 (उपनियम पांच एवं छः) में किए गये संशोधन जो अधिसूचना संख्या 21/2023/814/30–04–2023–8(19)–2018 टीसी दिनांक 12 जून, 2023 द्वारा अधिसूचित किए गये थे, में आंशिक संशोधन करते हुए, एतद्द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाता है कि अनुमन्य इलेक्ट्रिक वाहनों को, विभिन्न श्रेणी के वाहनों पर लागू पंजीकरण शुल्क में शत प्रतिशत छूट निम्नवत् देय होगीः–

(एक) उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माण एवं गतिशीलता नीति, 2022 की अधिसूचना की तिथि से तीन वर्ष अर्थात दिनांक 14 अक्टूबर, 2022 से दिनांक 13 अक्टूबर, 2025 तक उत्तर प्रदेश राज्य में क्रयकृत एवं रजिस्ट्रीकृत/पंजीकृत इलेक्ट्रिक यानों (ईवी) पर।

(दो) दिनांक 14 अक्टूबर, 2022 को अधिसूचित उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माण एवं गतिशीलता नीति, 2022 की प्रभावी अवधि के चौथे एवं पाँचवें वर्ष अर्थात् दिनांक 14 अक्टूबर, 2025 से दिनांक 13 अक्टूबर, 2027 तक उत्तर प्रदेश राज्य में क्रयकृत एवं रजिस्ट्रीकृत/पंजीकृत इलेक्ट्रिक यानों (ईवी) पर।

स्पष्टीकरण :

उपर्युक्त छूट के प्रयोजनार्थ इलेक्ट्रिक यान का तात्पर्य केवल शुद्ध विद्युत वाहनों (Pure EVs) से है।

आज्ञा से,

खेमपाल सिंह,
विशेष सचिव।

———————

No. 21/2025/1270/XXX-4-2025-8 (19)-2018 T.C.,
Dated Lucknow, November 5, 2025

For implementation of the Uttar Pradesh Electric Vehicle Manufacturing and Mobility Policy, 2022 (as amended, 2025) promulgated through Notification No. 73/2025/2201/77-6-2025-1657900, dated October 17, 2025 of the Industrial Development Department, Government of Uttar Pradesh *read* with minutes of meeting dated October 10, 2025 of High Level Empowered Electric Vehicle Committee (HLEEVC) as approved by competent authority, and in the context of the Standard Operating Procedure (SOP) issued by the Transport Department *vide* Government Order No. 420/30-4-2023, dated 18 March, 2023 for the benefit/facilitation of exemption in road tax and registration fee on electric vehicles under the Uttar Pradesh Electric Vehicle Manufacturing and Mobility Policy, 2022, and for specific implementation of recommendation of HLEEVC in Item no. 2 of its above approved minutes, in partial amendment to Notification no. 21/2023/814/30-4-2023-8(19)-2018 TC dated June 12, 2023 issued to notify amendment to Rule 50 (Sub rule 5 and 6) of U.P. Motor Vehicle Rules, 1998 (as amended in 2023), it is hereby specified that 100% exemption in registration fee will be admissible to eligible electric vehicles of different categories, as under:-

(i) Electric Vehicles (EVs) purchased and registered in the State of Uttar Pradesh within three years from the date of notification of the Uttar Pradesh Electric Vehicle Manufacturing and Mobility Policy, 2022, *i.e.* from October 14, 2022 to October 13, 2025.

(ii) Electric Vehicles (EVs) purchased and registered in the State of Uttar Pradesh during the fourth and fifth years of the effective period of the Uttar Pradesh Electric Vehicle Manufacturing and Mobility Policy, 2022 notified on October 14, 2022, *i.e.* from October 14, 2025 to October 13, 2027.

Explanation :

For the purpose of the above exemption, electric vehicles means only pure electric vehicles (Pure EVs).

By order,
KHEMPAL SINGH,
Vishesh Sachiv.

पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 228 राजपत्र–2025–(702) 599 प्रतियां–(डी0टी0पी0/ऑफसेट)।
पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 8 सा0 परिवहन–2025–(703) 100 प्रतियां–(डी0टी0पी0/ऑफसेट)।

228 RPH (Parivahan-4) 2025 data 4e